प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 03.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1003/22 धारा 323/504/506/324/307 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की एक रॉड बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 24.10.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री अशोक दीक्षित पुत्र स्व0 रामेश्वर दीक्षित निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी की अभियुक्तगण 1.ओमपाल पुत्र मुंशी, 2.विक्की पुत्र ओमपाल, 3.काला पुत्र ओमपाल व 4.पंकज पुत्र श्री भगवान निवासीगण ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत ने उसके लडके आकाश के साथ शराब पीकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व सिर में लोहे की रॉड मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1003/22 धारा 323/308/504/506 भादवि पंजिकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 308 भादवि का विलोपन कर धारा 324/307 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1003/22 धारा 323/504/506/324/307 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की एक रॉड बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-ओमपाल पुत्र मुंशी निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-विक्की पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त लोहे की एक रॉड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री सुरेश कुमार कोतवाली बागपत।

2- का0 160 रिंकू कोतवाली बागपत।

3-हो0गा0 511 जोशिन्द्र कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 03-11-2022**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 266/22 धारा 307/120बी/34 भादवि में वांछित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 21-07-2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी ग्राम चौकीदार शमशेर निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा दीपक पुत्र रोहतास निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर को गोली मारकर घायल कर दिया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 266/22 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 120बी/34 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 266/22 धारा 307/120बी/34 भादवि में वांछित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये के ईनाम से पुरूस्कृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सोहनवीर उर्फ सोनू उपरोक्त ने बताया कि वर्ष 2020 में हमारे परिवार के लोगों मनवीर पुत्र नैन सिंह, धर्मवीर पुत्र नैन सिंह, सतवीर पुत्र नैन सिंह, अमरदीप पुत्र सतवीर

आदि लोगों का गांव के ही ऋषिपाल पुत्र भोपाल, विकास पुत्र भोपाल आदि से झगडा हो गया था, जिसमें कालूराम सिंह पुत्र मिथन सिंह व भोपाल पुत्र मिथन सिंह नि0गण ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत की मृत्यु हो गयी थी तथा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे जिसका ऋषिपाल पक्ष द्वारा थाना सिंघावली अहीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया था जो न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें मेरे परिवार के करीब 15 लोग अभी भी जेल में बन्द हैं विपक्षी लोग ऋषिपाल पुत्र भोपाल, विकास पुत्र भोपाल आदि उनके परिवार के लोग काफी प्रयास करने के बाद भी मुकदमें में फैसला नही कर रहे थे। नाते-रिश्तेदारों का भी दबाव डलवाया तथा रुपयों का भी लालच दिया लेकिन ऋषिपाल पक्ष फैसला करने को तैयार नहीं हुआ। हमारे 15 लोगों को मुकदमा उपरोक्त में सजा होने की पूर्ण संभावना है। अमरदीप ने मुझसे कहा कि इन लोगों के खिलाफ किसी परिवार वाले के फर्जी गोली मारकर झूठे मुकदमे में विकास, ऋषिपाल आदि लोगों के नाम लिखवा दो फिर यह फैसला करने के लिये मजबूर हो जायेंगे। मेरा एक दोस्त निखिल उर्फ शिवा पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम निवाली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत हाल निवासी राम पार्क जी ब्लाक ट्रोनिका सिटी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है जो गोली मारने में माहिर है, तब मैं अपने मामा के लडके सुमित पुत्र सोमवीर निवासी अगरौला प्रधान धर्म काँटा के पास महताब नगर ट्रोनिका सिटी के पास पहुंचा निखिल मेरे साथ था तब हम सब ने दीपक पुत्र रोहतास के गोली मारने की योजना बनाई थी। दिनांक 20.07.22 को मैं व निखिल उर्फ शिवा पुत्र इन्द्रपाल व सुमित पुत्र सोमवीर गाँव खिन्दौडा आये थे और दीपक पुत्र रोहतास निवासी खिन्दौडा को मनवीर के खेत में गोलियां मारी थी, जिससे वह घायल हो गया था। यह घटना हम लोगों ने ऋषिपाल पक्ष पर रिपोर्ट लिखवाने व दबाव बनाने के लिए की थी। यह भी उल्लेखनीय है कि निखिल उर्फ शिवा हिस्ट्रीशीटर अपराधी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सोहनवीर उर्फ सोनू पुत्र मनवीर सिंह निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

हाल निवासी महताब नगर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

2. निखिल उर्फ शिवा पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम निवाली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

हाल निवासी राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर।

2.उ0नि0 अभिषेक सर्विलांस प्रभारी मय टीम।

3.है0का0 378 बलराज सिंह थाना सिंघावली अहीर।

4.का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 03.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1031/22 धारा 452/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 03.11.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री विक्की पुत्र स्व0 भानी निवासी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी की अभियुक्तगण 1.अरविन्द पुत्र ब्रहम सिंह, 2.संजीव पुत्र ब्रहम सिंह व 3.अंकित पुत्र ब्रहम सिंह निवासीगण जाजल टोकी थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा हाल निवासी अमृतसरी नान होटल गौरीपुर मोड़ थाना कोतवाली बागपत एवं अज्ञात साथी ने मिलकर उसके घर में घुसकर उसके व उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौच करते हुये लाठी डन्डों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। उपरोक्त घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1031/22 धारा 452/323/504/506 भादवि में पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1031/22 धारा 452/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अरविन्द पुत्र ब्रहम सिंह निवासी जाजल टोकी थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा हाल पता अमृतसरी नान होटल गौरीपुर मोड़ थाना कोतवाली बागपत।

2. संजीव पुत्र ब्रहम सिंह निवासी जाजल टोकी थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा हाल पता अमृतसरी नान होटल गौरीपुर मोड़ थाना कोतवाली बागपत।

3. अंकित पुत्र ब्रहम सिंह निवासी जाजल टोकी थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा हाल पता अमृतसरी नान होटल गौरीपुर मोड़ थाना कोतवाली बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वीर सिंह थाना कोतवाली बागपत।

2- का0 179 सचिन थाना कोतवाली बागपत।

3-का0 781 रविकरन सिंह थाना कोतवाली बागपत।